मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन सी.आइ.जी.मार्ग,
नई दिल्ली-110002

सं.: ई-13/12/14/2015-जनसंपर्क

दिनांक: 06.12.2018

प्रेस प्रकाशनी

- **क.रा.बी.निगम गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को इसके अल्पप्रयुक्त अस्पतालों से चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति के संबंध में।**
- **कर्मचारियों के अंशदान भाग के अदायगी की छूट सीमा में 137 रुपये से 176 रुपये की वृद्धि।**
- **क.रा.बी.निगम में लगभग 5200 विविध पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।**
- **वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा का अनुमोदन।**

******

क.रा.बी.निगम की दिनांक 05.12.2018 को **श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार** की अध्यक्षता में संपन्न 176वीं बैठक में इसकी सेवा सुपुर्दगी तंत्र में सुधार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री हीरा लाल सामरिया, आइ.ए.एस., सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार; श्री राज कुमार, आइ.ए.एस., महानिदेशक, क.रा.बी.निगम; श्री मनीष गुप्ता, आइ.ए.एस, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार, भारत सरकार; श्रीमती संध्या शुक्ला, आइ.ए. एवं ए.एस., वित्त आयुक्त, क.रा.बी.निगम; सुश्री गरिमा भगत, आइ.आर.एस., मुख्य सतर्कता अधिकारी, क.रा.बी.निगम; राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और श्रम एवं रोजगार तथा क.रा.बी.निगम के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

1. बैठक में, गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को क.रा.बी.निगम के अल्प प्रयुक्त अस्पतालों से, प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष के लिए बहिरंग रोगी विभाग परामर्श के लिए 10/- रुपये की सहायिकीप्राप्त लागत पर एवं अंतरंग रोगी विभाग के लिए 25 प्रतिशत के सीजीएचएस पैकेज दरों पर उपभोक्ता शुल्क लगाकर और वास्तविक दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने की चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति का निर्णय लिया गया। यह आम लोगों को कम कीमत पर गुणात्मक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ-साथ इससे जनहित में अस्पतालों के संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा।
2. नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज में रु. 176/- वृद्धि के दृष्टिगत, बैठक में कर्मचारी के भाग के अंशदान के भुगतान के लिए छूट सीमा रु. 137 से रु. 176 बढ़ाने का निर्णय किया गया।

3. क.रा.बी.निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। वे पद जिनकी भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है/होने की संभावना है, वे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (539 रिक्तियां), बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-।। (771 रिक्तियां), कनिष्ठ अभियंता (79 रिक्तियां), शिक्षण संकाय - आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य (206 रिक्तियां), विशेषज्ञ ग्रेड - ।। (330 रिक्तियां), परा-चिकित्सा तथा नर्सिंग संवर्ग (2768 रिक्तियां) तथा प्रवर श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक (500 रिक्तियां) हैं। कुल मिलाकर उपर्युक्त विभिन्न पदों/संवर्गों के लिए लगभग 5200 पदों पर भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष 2017-18 के लिए मसौदा वार्षिक रिपोर्ट सहित वर्ष 2017-18 के लिए क.रा.बी.निगम के लेखापरीक्षित वार्षिक लेख, केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करने के लिए बैठक में अंगीकृत कर लिए गए।
5. कुछ क.रा.बी.निगम अस्पतालों में विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पूरा करने के लिए, क.रा.बी.निगम ने संवेदनाहरण, औषधि, शल्य चिकित्सा, बालरोग विज्ञान, स्त्री रोग, हड्डी रोग विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, वृक्कविज्ञान तथा चिकित्सा, अर्बुदविज्ञान विभाग पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञों/अति विशेषज्ञों को खुली निविदा के पश्चात भाड़े पर रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।
6. उपर्युक्त के अलावा, बैठक के दौरान बीमाकृत व्यक्तियों को सेवाओं/हितलाभों में सुधार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित लगभग 20 अन्य कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

भारत में क.रा.बी. योजना

क.रा.बी.निगम रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकताओं के समय में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा हितलाभों जैसे उचित चिकित्सा देखरेख तथा नकद हितलाभ की शृंखला प्रदान करने वाला अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी. अधिनियम उन कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है, जहां 10 अथवा उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। रु. 21,000/- प्रतिमाह की मजदूरी का आहरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति तथा अन्य हितलाभ प्राप्त करने का हकदार है। कामगारों की लगभग 10.33 करोड़ पारिवारिक इकाइयों को लाभ प्रदान करते हुए, यह अधिनियम अब संपूर्ण भारत में लगभग 3.43 लाख कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू होता है। इस समय, क.रा.बी. योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 13.32 करोड़ से अधिक है। वर्ष 1952 में इसके आरंभ से, क.रा.बी.निगम ने अब तक 154 अस्पताल, 1489/174 औषधालय/आइएसएम इकाइयां, 815 शाखा/भुगतान कार्यालय तथा 63 क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

****